तलाश प्रमाण पत्र

पत्र संख्या 29(नियम 12)
अन्वेषण पत्र की संख्या
1895 198 के प्रमाण पत्र की संख्या
1895/17 198 के प्रार्थना पत्र के साथ

श्री विनोद कुमार शर्मा एड०
मै मेरे पास उल्लिखित सम्पत्ति के पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। सम्पत्ति का विवरण प्रार्थना पत्र के उल्लिखित के अनुसार दिया जायेगा।

प्रार्थनापत्र व खतौनी के अनुसार सम्पत्ति स्वामी - ज्ञानभारती कालेज आफ एजूकेशन द्वा० प्रबन्धक डा० शीलाराम लवानिया पुत्र [illegible] राहुल विहार शमशाबाद रोड आगरा सम्पत्ति विवरण - सम्पत्ति खाता सं० 20 खसरा सं- 146 तादाद 0.5400 है० मौजा [illegible] जिला आगरा।

मै एतद द्वारा प्रमाणित करता हू कि उक्त सम्पत्ति हर प्रभाव डालने वाले कार्यो तथा तत्सम्बन्धी भार प्रस्तावों के लिए वर्ष 1995 से 18-9-17 तक प्रस्तुत तथा अनुक्रमणिकाओं का अन्वेषण किया गया है और ऐसे अन्वेषण से निम्नलिखित कार्या भार ग्रस्तता प्रकट होती है।

सम्पत्ति का विवरण जैसा लेख्य में दिया है।	निष्पादन का दिनांक	लेखा का प्रकार तथा मुल्य	पक्षकारों के नाम निष्पादक अलाटमेन्ट	प्रविष्ट संख्या वर्ष
कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार उपरोक्त सम्पत्ति पर कोई विलेख / अभिलेख नहीं पाया गया।				

मै यह प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त कार्यो तथा ग्रस्तताओं के अतिरिक्त उक्त सम्पत्ति जो प्रस्तावित करने वाला कोई अन्य भार प्रस्तुता प्राप्त नहीं हुई है।

1. इस प्रमाण पत्र में प्रदर्शित व भार ग्रस्तताऐंह" जो कि प्रार्थी द्वारा वर्णित सम्पत्ति के विवरण से अभिन्नद है। यदिनिबंधन अभिलेखों में सम्पत्ति का विवरण अपने से भिन्न रीति से दिया गया है जैसा प्रार्थी ने नही लिखा है तो उस स्थिति में वैसी भार ग्रस्तियों का प्रमाण पत्र में समावेश नही किया गया जायेंग।
2. वांछित अन्वेषण व प्रमाण–पत्र यथा सम्भत सावधानी पूर्वक कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है। फिर भी विभाग किसी भी अन्वेषण प्रमाण पत्र की त्रुटि अथवा इसके परिणामों के उत्तरदायी नही है।
3. इस पत्र में व लेखपत्र यदि कोई हो जो प्रस्तुत हो गये हैं किन्तु जिसका निबन्धन हो गया है के सम्बन्ध में भार ग्रस्तिता प्रमाण पत्र शामिल नही हैं।
4. यह मात्र भार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र इससे मालिकाना हक या स्वामित्व का कोई सम्बन्ध नही है।

द्वारा अन्वेषण तथा प्रमाण–पत्र तैयार किया गया
द्वारा अन्वेष्ण सत्यापित किया गया

ATTESTED
Pawan [illegible]
Distt. [illegible] Agra
(Gazetted Officer)

हस्ताक्षर
उपनिबन्धक तृतीय, आगरा

1895/17

भाग 1

भाग 1 की प्रतिलिपि पर फिर से लगाया जाने वाला

67/120

उप निबन्धक तृतीय सदर आगरा कम सं0 18932

| अधिनियम 16 1908 की धारा 52 के अधीन रसीद |

प्रस्तुतकर्ता या प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र

के लिए प्रार्थी का नाम विनोद कुमार शर्मा

2005 वर्ष से 2017 वर्ष तक

निष्पादक का नाम

लेख का प्रकार तलाश/मुआयना

प्रतिफल की धनराशि 110

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 14-Sep-2017

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र 14-Sep-2017

वापस करने के लिए तैयार होगा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर ______________

ATTESTED

13/10/17

Pawan K... Distt ... (Gazetted Officer)